



363



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर,

प्रकरण क्रमांक

/2014 पुनरीक्षण R-3213-III/14

दि. 17-9-14  
श्री. लाल शर्मा  
सम्मा 5 (57)  
32  
17-9-14

लटोरा, उम्मेदा, रामप्रसाद पुत्रगण  
सकई डीमर, निवासी- ग्राम  
खुरमपुर, तहसील लिधोरा, जिला  
टीकमगढ़

.....आवेदकगण

बनाम

- 1) राकेश पुत्र श्री पन्नालाल निवासी-  
ग्राम खुरमपुर, तहसील लिधोरा,  
जिला टीकमगढ़
- 2) म० प्र० शासन  
.....अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व  
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी  
15/6/2014 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील  
लिधोरा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक  
69/अ/12/2013-14

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्नप्रकार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष  
ग्राम खुरमपुर की भूमि के सम्बन्ध में म०प्र० कृषि  
प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित  
भूमि सर्वे क्रमांक 3,7,1 रकवा 1.214 हैक्टर भूमि  
को पट्टे पर प्राप्त करने हेतु विधिवत् आवेदन प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3213-तीन/2014

जिला टीकमगढ़

लटोरा

विरुद्ध

राकेश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-2-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. यह निगरानी तहसीलदार लिधोरा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 69/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 12-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	

3

(अरुण के. जैन) 25/2/2019  
सदस्य